



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्ता क्रान्ति देवी पत्नी स्व० दशाराम निवासी इन्द्रानगर थाना कोतवाली उरई द्वारा हत्या की घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना आटा में मु०अ०सं० 38/2017 (वाद संख्या-62/2017) धारा 302/201/34 भादवि में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 19.02.2024 को मा० न्यायालय एडीजे-1 उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्ता श्रीमती क्रान्ति देवी उपरोक्त को 302/201/34 भादवि में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 12,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2017 को आरोप विचारण के बाद अभियुक्ता को (करीब 08 वर्ष 04 दिन) में दण्डित किया गया।



श्री मोतीलाल पाल ADGC (क्रि०)



कोर्ट पैरोकार अखिलेश

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f Jalaun Police